

7- परियोजना/स्कीम का स्थान (I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र (II) जिला (III) वन प्रभाग (IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) (V) वन की कानूनी स्थिति (VI) हरियाली का घनत्व (VII) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाय) (VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी (IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी (X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जायें)। (XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। (XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। 8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। 9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपी डा) द्वारा मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे संरेखण से प्रभावित जनपद हरदोई के अर्न्तगत 4.0551 हे० आरक्षित एवं 2.2322 हे० संरक्षित कुल 6.2873 हे० वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। उत्तर प्रदेश। हरदोई। सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई। 6.2873 हे० आरक्षित/संरक्षित वन भूमि स्वामित्व, वन विभाग एवं लो०नि०वि०। 0.3 औसत प्रभावित 138 वृक्षों की प्रजातिवार, ब्यासवार सूचना पृष्ठ सं०-27 पर संलग्न है। भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है। शून्य नहीं नहीं नहीं हाँ प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है। नहीं।
---	--

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा- (I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकर । (II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप । (III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि । (IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय । (V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें) 11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) 12-विभाग/जिला प्रोफाइल (I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (II) जिले का वन क्षेत्र (III) मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र (IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर (IV) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर 13-प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश । तिथि: 26-11-2024 स्थान-हरदोई	प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि के बदले ग्राम-बेहन्दरखुर्द तहसील-सण्डीला में उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि क्षेत्रफल (4.0552 हे0) भूमि ऊसर में रोपण कार्य हरदोई वन प्रभाग द्वारा एवं संरक्षित वन भूमि के बदले दो गुने क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण चित्रकूट वन प्रभाग में प्रस्तावित है वन क्षेत्र से दूरी लगभग 500 मी0 भू-खण्ड का आकार समतल एवं भूमि ऊसर क्षेत्रफल 4.0552 हे0 । प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-91 पर संलग्न है । वन खण्ड वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन भूमि वर्ग की उपलब्धता के अनुसार, कार्यदायी संस्था-सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई अवधि-2022-23 से 2025-26 तक लागत रु0-31,83,390.0 रु0-31,83,390.0 प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-35 पर संलग्न है । प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-43 पर संलग्न है । 598900 हे0 11962.141 हे0 स्वीकृत मामलों की संख्या-46 क्षेत्रफल-35.0342 हे0 । 1.0 हे0 शून्य 388.047 हे0 3283.544 हे0 । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति की जाती है ।  (रविशंकर शुक्ल) प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई ।
--	--